# 50 दुधारू पशुओं की ब्याजमुक्त मिनीकामधेनु डेयरी योजना

## पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

**संशोधित प्रोजेक्ट जुलाई 2015 से प्रभावी**

# 50 दुधारू पशुओं की ब्याजमुक्त मिनीकामधेनु डेयरी योजना

## (राज्य योजना)

**प्रस्तावना/संक्षिप्त विवरणः–**

उत्तर प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य श्रोत कृषि एवं पशुपालन है वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू जी0डी0पी0 का लगभग 9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश में देश का 10.5 प्रतिशत गोवंश एवं 27 प्रतिशत महिशवंश है यद्यपि प्रदेश वर्ष 2013–14 में 241.938 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की उत्पादकता 2.5 किग्रा0 प्रतिदिन प्रति पशु है जब कि पंजाब एवं हरियाणा में दोगुनी है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता प्रदेश में 4.4 किग्रा0 प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उत्पादकता डेढ़ गुनी है इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्चगुणवत्ता युक्त पशुओं का न होना है।

अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास हेतु उच्च नस्ल के अधिक से अधिक पशुओं की इकाई स्थापित की जाये। पशुपालन विभाग पशुधन के क्षेत्र में विकास हेतु उन्नत पशुपालन संसाधन तथा उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, चारा विकास, रोजगार सृजन आदि कार्यक्रम संचालित करता है लेकिन पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता के पशु प्राप्त करने हेतु प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के 50 दुधारू पशुओ (गाय/भैंस) प्रति यूनिट स्थापित करने हेतु मिनी कामधेनू योजना प्रस्तावित की जा रही है।

**योजना का मुख्य उद्देश्यः–**

1. प्रदेश में उच्च उत्पादकता क्षमता के गोवंशीय एवं महिशवंशीय नर एवं मादा पशुओं का उत्पादन।
2. पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी।
3. प्रदेश के पशुपालकों को प्रदेश में ही उच्च उत्पादक क्षमता के गोवंशीय एवं महिशवंशीय नर मादा पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. रोजगार के अवसर प्रदान करना।

**योजना का स्वरूपः–**

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 50 दुधारू पशु (गाय/भैंस) की यूनिटें स्थापित की जायेंगी।
- दुधारू गायो में संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय होंगी तथा भैसो में केवल मुर्रा भैस ही रखी जाएगीं।
- यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैसे रखनी है अथवा गाय/भैसे दोनो कितनी संख्या में रखनी है लेकिन यूनिट में जो भी गाय होगी समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।
- यूनिट की पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

- योजना लागत के 75 प्रतिशत या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक विभाग द्वारा की जायेगी।
- नियमित ऋण अदा न करने पर योजना अंतर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पडता है तो उसे लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की नियमित भुगतान पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऋण भुगतान न होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
- सिर्फ गायों की इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त रूप से एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। 50 गायों की डेयरी इकाई को स्थापित करने वाले पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप 2.5 लाख रू0 का अनुदान दिया जाएगा लेकिन यह अतिरिक्त अनुदान उन्ही पशुपालकों को देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (8 माह) के अंदर योजनानुसार निर्धारित समस्त गाय क्रय कर लेगा। अनुदान हेतु दी जाने वाली धनराशि पशुपालक के खाते में डाली जायेगी।
- गाय/भैसों का कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांडों से प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यक्रमो को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओ के साथ भी डबटेल किया जायेगा, ताकि लाभार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।
- क्रय किये गये समस्त पशुओ का बीमा कराया जाना आवश्यक है।
- लाभार्थी को उनके निजी व्यय पर विभाग द्वारा डेयरी प्रबन्धन, पशुपोषण एवं पशु स्वास्थ्य तथा लेखा संबंधी रखरखाव के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
- यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

**<u>लाभार्थी का चयनः–</u>**

योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो पषुपालन में रूचि रखता हो तथा पूर्व से ही पशुपालन का कार्य कर रहा हो। लाभार्थी के पास के शेड बनाने की भूमि के अतिरिक्त कम से कम 1.0 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यूनिट की स्थापना यथा संभव पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर की जायेगी ताकि दूध की बिक्री सुगमता पूर्वक हो सके।

**<u>लाभार्थी का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–</u>**

| | |
|---|---|
| मुख्य विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | संयोजक सचिव |
| लीड बैंक ऑफीसर | सदस्य |
| दुग्ध विकास अधिकारी | सदस्य |

**50 दुधारू पशुओं गाय/भैंस की एक यूनिट स्थापित करने हेतु लिये गये ऋण पर कुल ब्याज की प्रतिपूर्तिः–**

पशुपालक को राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/कोआपरेटिव बैंक से ऋण लेकर पशुओं का क्रय करना होगा एवं ऋण ली गयी धनराशि का पाँच वषो में नियमित रूप से बैंक को अदा कराना होगा। नियमित ऋण भुगतान न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है तो लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुओं का बीमा करवाना आवश्यक होगा।

**पशु क्रय हेतु आवश्यक माप दण्डः–**

1. पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।
2. क्रय किये जाने वाले पशु प्रथम या द्वितीय ब्यात के होने चाहिये तथा दुग्ध उत्पादन गायों में प्रति पशु प्रति दिन 12 लीटर तथा भैसों में प्रति पशु प्रतिदिन 10 लीटर से कम न हो।
3. क्रय किये जाने वाले पशु ढेड़ माह से पूर्व के ब्यायें हुये न हो।
4. सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होने चाहिये।

**पशुओ का कय निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–**

| | |
|---|---|
| सम्बन्धित जनपदो के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | अध्यक्ष |
| सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि | सदस्य |
| क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी | सदस्य |
| सम्बन्धित लाभार्थी | सदस्य |

**50 दुधारू पशुओं की एक इकाई की लागतः–**

**पूजींगत व्ययः–**

| क्र0सं0 | **पशु क्रय पर व्यय** | |
|---|---|---|
| 1– | 50 दुधारू पशुओ (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एच0एफ0 गायों/मुर्रा भैंस की कीमत रू0 70000–00 प्रति पशु की दर से | रू0 3500000.00 |
| 2– | पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार) | रू0 168000.00 |
| 3– | पशु यातायात पर व्यय (रू0 4000.00 प्रति पशु की दर से) | रू0 200000.00 |
| | **योग** | **3868000.00** |
| क्र0सं0 | **पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय** | |
| 1– | वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फूट प्रति पशु रू0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (50 पशुओ के लिए) | रू0 500000.00 |
| 2– | हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रू0 200प्रति वर्ग फुट की दर से (50 हीफर के लिए) | रू0 300000.00 |
| 3– | फीड गोडाउन पालीहाउस (10 X 10 वर्ग फुट) रू0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से | रू0 30000.00 |
| 4. | मिल्क रूम (10X10 वर्ग फुट)रू0 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से | रू0 35000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | चैफ कटर शेड (10 X 10 वर्ग फुट)रू 0200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से | रू0 20000.00 |
| 6. | कैटल क्रस शेड | रू0 20000.00 |
| | **योग** | **रू0 905000.00** |

| क0सं0 | **उपकरण** | **50 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु** |
|---|---|---|
| 1– | जेट समरसेविल पम्प | रू0 50000.00 |
| 2– | पावर चैफ कटर | रू0 100000.00 |
| 3– | मिल्क केन्स (40 लीटर के 5 दर रू0 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 6 दर रू0 1500 प्रति नग) | रू0 19000.00 |
| 4. | मिल्किंग मशीन–1 | रू0 100000.00 |
| 5. | मेजरिंग किट–2 एंव मिल्क बकेट–2 | रू0 2000.00 |
| 6. | केटिल क्रस | रू0 10000.00 |
| 7. | अन्य व्यय | रू0 3000.00 |
| | **योग** | **रू0 285000.00** |
| | **इकाई की कुल लागत** | **रू0 5058000.00** |
| | **लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)** | **रू0 1264500.00** |
| | **बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)** **अर्थात** | **रू0 3793500.00** **रू0 3794000.00** |

**<u>50 पशुओ पर एक दिन के लिए चारे एवं दाने पर होने वाला व्ययः–</u>**

| **क सं0** | **विवरण** | **दुग्धकाल** | | **शुष्ककाल** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **कि0ग्रा0** | **धनराशि रू0 मे** | **कि0ग्रा0** | **धनराशि रू0 मे** |
| **1** | हरा चारा | 1000 | 1500 | 500 | 750 |
| **2** | सूखा चारा | 250 | 1000 | 300 | 1200 |
| **3** | पशु दाना | 200 | 3000 | 50 | 750 |
| **कुल** | | **1450** | **5500** | **850** | **2700** |

**<u>50 पशुओ पर एक वर्ष मे चारा एवं दाना पर होने वाला व्ययः–</u>**

क–प्रथम वर्ष मे दुग्धकाल 250 दिवस एंव शुष्ककाल 115 दिवस आंकलित है।

ख–द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एंव पंचम वर्ष मे दुग्धकाल 280 दिवस एंव शुष्ककाल 85 दिवस आंकलित है।

(धनराशि रू0 में)

| क0 सं0 | विवरण | वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पंचम |
| 1 | हरा चारा | 461250 | 483750 | 483750 | 483750 | 483750 |
| 2 | सूखा चारा | 388000 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 |
| 3 | पशु दाना | 836250 | 903750 | 903750 | 903750 | 903750 |
| योग | | **1685500** | **1769500** | **1769500** | **1769500** | **1769500** |

**50 दुधारू पशुओं से वर्षवार प्राप्त दूध लीटर मे एंव दूध विक्रय से प्राप्त धनराशि का विवरणः–**

| क0 सं0 | वर्ष | 50 क्रास ब्रीड गायों / भैंस का कुल वर्षवार लैक्टेशन दिवस | कुल दुग्ध उतपादन 12 लीटर प्रति पशु प्रति दिवस की दर से | वर्षवार कुल विक्रय मूल्य (प्रथम वर्ष मे रू0 23 प्रति ली0 तथा आगामी वर्षो में रू0 1 प्रति ली0 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से धनराशि रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम | 12500 | 150000 | 3450000 |
| 2 | द्वितीय | 14000 | 168000 | 4032000 |
| 3 | तृतीय | 14000 | 168000 | 4200000 |
| 4 | चतुर्थ | 14000 | 168000 | 4368000 |
| 5 | पंचम | 14000 | 168000 | 4536000 |

**प्रोजेक्ट वायबिलिटी**

(धनराशि रू0 में)

| क्रमांक | व्यय विवरण | 50 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु |
|---|---|---|
| 1. | पूजीगत व्यय | |
| 1.1 | पशु आवास निर्माण व्यय | 905000 |
| 1.2 | आवश्यक उपकरण औजार खरीद | 285000 |
| 1.3 | 50 दुधारू पशुओं का क्रय | 3500000 |
| 1.4 | पशु बीमा तीन वर्ष हेतु | 168000 |
| 1.5 | पशु यातायात पर व्यय | 200000 |
| | **योग** | **5058000** |

**आवर्ती व्यय वर्ष (धनराशि रू0 में)**

| 2 | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पंचम | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | पशु आहार चारे पर व्यय | 1685500 | 1769500 | 1769500 | 1769500 | 1769500 | **8763500** |
| 2.2 | पशु चिकित्सा पर व्यय | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | **125000** |
| 2.3 | 05 लेबर / दैनिक मजदूरी रू0 150 / – की दर से | 273750 | 273750 | 273750 | 273750 | 273750 | **1368750** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | डीजल/विद्युत व्यय रू0 2500/– प्रति माह | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | **150000** |
| | **योग** | **2014250** | **2098250** | **2098250** | **2098250** | **2098250** | **10407250** |

| **क्र0 सं0** | **आय विवरण** | **वर्ष** | | | | | **योग (धनराशि रू0 में)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **प्रथम** | **द्वितीय** | **तृतीय** | **चतुर्थ** | **पंचम** | |
| 1. | उत्पादित दूध बिक्री से आय | 3450000 | 4032000 | 4200000 | 4368000 | 4536000 | **20586000** |
| 2. | खाद की बिक्री से आय (दर रू0 1000.00 प्रति पशु/प्रति वर्ष) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | **250000** |
| | **कुल आय (रू0)** | **3500000** | **4082000** | **4250000** | **4418000** | **4586000** | **20836000** |
| | **(–)कुल आवर्ती व्यय (रू0)** | **2014250** | **2098250** | **2098250** | **2098250** | **2098250** | **10407250** |
| | **शुद्ध लाभ (रू0)** | **1485750** | **1983750** | **2151250** | **2319750** | **2487750** | **10428750** |

## पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशिः–

1– 50 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि रू0 5058000/– लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1264500/– मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि रू0 3794000/– बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2– बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। यह धनराशि 50 पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में रू0 1365840/– अर्थात अधिकतम रू0 13.66 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नही होगी।

**50 दुधारू पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षो में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि रू0 मेंः–**

| वर्ष | बैंक लोन | ब्याज(12) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से) | किश्त | बैंक को कुल भुगतान | एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **प्रथम** | 3794000 | 455280 | 758800 | 1214080 | 455280 |
| **द्वितीय** | 3035200 | 364224 | 758800 | 1123024 | 364224 |
| **तृतीय** | 2276400 | 273168 | 758800 | 1031968 | 273168 |
| **चतुर्थ** | 1517600 | 182112 | 758800 | 940912 | 182112 |
| **पंचम** | 758800 | 91056 | 758800 | 849856 | 91056 |
| **योग** | **11382000** | **1365840** | **3794000** | **5159840** | **1365840** |

**ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्डः–**

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा ।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नही है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

**योजना का अनुश्रवणः–**

उक्त योजनान्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वह पशुपालकों द्वारा क्रय किये जा रहे पशुओं का त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण करें एवं सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करें कि वह मासिक आधार पर पशुओं को निरीक्षण करें तथा औसत दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी, बैंक के ऋण की वापसी की स्थिति एवं अन्य जानकारियां मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रूप में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्पूर्ण जनपद की उक्त संकलित सूचना अपर निदेशक ग्रेड–2 को उपलब्ध करायेंगे एवं अपर निदेशक का दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल की संकलित सूचना प्रतिमाह 30 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करायें। निदेशालय स्तर पर उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का संकलित किया जायेगा।

**<u>योजना का लाभ</u>:–**

1– प्रदेश में प्रतिवर्ष 1.68 लाख लीटर प्रति इकाई अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन होगा।

2– पशुपालक को पांच वर्षों में प्रति यूनिट रू0 104.28 लाख का लाभ होगा।

3– प्रदेश में प्रतिवर्ष उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के 50 नर/मादा पशु प्रति इकाई पैदा होंगे।

4– प्रदेश के अन्य पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेंगे।

5– ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।